स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ,राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com

क्रमांक : स.से.शि.सं.सं.रा./ /2014 दिनांक : 28.10.2014

श्रीमती वसुन्धरा राजे,
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– निजी शिक्षण संस्थाओं की भाजपा सरकार के प्रति उदासीनता के सम्बन्ध में।

महोदया,

गत विधानसभा और लोकसभा चुनावों में निजी शिक्षण संस्थाओं के एक करोड़ मतदाताओं ने भाजपा को मत दिया और भाजपा की अप्रत्याशित विजय हुई। निजी शिक्षण संस्थाओं की आशा थी कि भाजपा की सरकार बनने के बाद निजी शिक्षण संस्थाओं का दमन बन्द होगा परन्तु इन संस्थाओं पर दमन बढ़ता ही जा रहा है और निजी शिक्षण संस्थाएं भाजपा के प्रति उदासीन हो गई हैं जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। निगम, नगरपालिका और पंचायतों के चुनावों में इसके दुष्परिणाम की आशंका है।

संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना प्रत्येक राज्य सरकार का दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन सरकार से एक पैसे की सहायता लिए बिना निजी शिक्षण संस्थाएं कर रही है। निजी शिक्षण संस्थाएं गांव–गांव और ढ़ाणी–ढ़ाणी में नाममात्र की फीस ले कर गरीबों, शोषितों और किसानों तथा मजदूरों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रही हैं परन्तु फीस निर्धारण समिति की कार्य पद्धति से समस्त संस्थाएं उद्वेलित हैं। फीस निर्धारण कमेटी का कार्य संस्थाओं में व्याप्त मुनाफाखोरी रोकना था न कि नाममात्र की फीस लेने वाली संस्थाओं का दमन।

अतः आपसे अनुरोध है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के आक्रोश को कम करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करने का प्रयास करें।

1– जिन संस्थाओं की फीस 14 हजार रूपये से कम हैं उन्हें समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए क्यों कि सरकारी विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी 14 हजार रूपये से अधिक व्यय होता है।
2– जिन संस्थाओं में 14 हजार से अधिक शुल्क है उनके व्यय में विकास के लिए फीस में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी जाए।
3– संस्थाओं द्वारा 2013–14 में ली गई फीस के आधार पर 2014–15 में फीस का निर्धारण किया जाए और आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत फीस वृद्धि की अनुमति दी जाए।
4– केवल उन्हीं संस्थाओं को फीस नियन्त्रण समिति के कार्यक्षेत्र में लाया जाए जो अत्यधिक मुनाफाखोरी कर रही हैं।
5– विद्यालय विधेयक को या तो समाप्त किया जाए अथवा उसमें संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए उचित संशोधन किया जाए और इस हेतु एक कमेटी स्थापित की जाए।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उक्त निर्देश जारी कर के निजी शिक्षण संस्थाओं को भाजपा सरकार का समर्थक बनाने का प्रयास करेंगी।

सधन्यवाद!

भवदीय

सत्यव्रत सामवेदी
अध्यक्ष

स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ,राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com

क्रमांक : स.से.शि.सं.सं.रा./ /2014 दिनांक : 28.10.2014

,

जस्टिस शिवकुमार शर्मा,
अध्यक्ष,
फीस निर्धारण समिति, शिक्षा संकुल, जयपुर

विषयः– फीस निर्धारण की नीति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

फीस निर्धारण समिति का गठन निजी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त मुनाफाखोरी रोकने के लिए था परन्तु आपने उन संस्थाओं को भी आने कार्यक्षेत्र में ले लिया है जो नाममात्र की फीस ले कर गांव–गांव, ढ़ाणी–ढ़ाणी में उत्कृष्ट शिक्षा का प्रचार कर रही हैं।

फीस निर्धारण समिति की कार्यप्रणाली से रूष्ट हो कर निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रान्तव्यापी आन्दोलन हुआ और 31 जुलाई को इन संस्थाओं का ऐतिहासिक बन्द रहा। फीस निर्धारण समिति के गठन के बाद आपने मुझे आश्वासन दिया था कि नाममात्र की फीस ले कर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं का अहित नहीं होने दूंगा और समिति का उद्देश्य निजी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त मुनाफोखोरी रोकना है।

फीस निर्धारण के सम्बन्ध में फीस निर्धारण समिति की स्पष्ट नीति न होने के कारण निजी शिक्षण संस्थाओं में असन्तोष की आग भड़कती रही और संस्थाओं को यह आशंका रही कि जो फीस ली जा रही है उसे भी कम कर दिया जाएगा और संस्थाओं का संचालन असंभव हो जायेगा। हमारे परामर्श पर अधिकांश संस्थाओं ने पोर्टल पर फीस की जानकारी दे दी है परन्तु कुछ संस्थाएं अभी भी आशंकित हैं और उन्होंने पोर्टल पर जानकारी नहीं दी।

अतः आपसे अनुरोध है कि समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये जायें ताकि अन्यथा पुनः प्रान्तव्यापी आन्दोलन की संभावना है।

1– जिन संस्थाओं की फीस 14 हजार रूपये से कम हैं उन्हें समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए क्यों कि सरकारी विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी 14 हजार रूपये से अधिक व्यय होता है।

2– जिन संस्थाओं में 14 हजार से अधिक शुल्क है उनके व्यय में विकास के लिए फीस में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी जाए।

3– संस्थाओं द्वारा 2013–14 में ली गई फीस के आधार पर 2014–15 में फीस का निर्धारण किया जाए और आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत फीस वृद्धि की अनुमति दी जाए।

4– केवल उन्हीं संस्थाओं को फीस नियन्त्रण समिति के कार्यक्षेत्र में लाया जाए जो अत्यधिक मुनाफाखोरी कर रही हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उक्त निर्देश जारी कर के निजी शिक्षण संस्थाओं को भाजपा सरकार का समर्थक बनाने का प्रयास करेंगी।

सधन्यवाद!

भवदीय

सत्यव्रत सामवेदी
अध्यक्ष